लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1922
दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

"पंजीकृत कारीगर"

1922. डॉ. मन्ना लाल रावत:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पंजीकृत कारीगरों की राज्यवार और राजस्थान राज्य में जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा कारीगरों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए शुरु की गई योजनाओं या पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में कारीगरों के उत्थान एवं उनकी दक्षता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और जिलावार विशेषकर राजस्थान में इन योजनाओं से लाभान्वित कारीगरों की कुल संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा पारंपरिक और सांस्कृतिक हस्तशिल्प को आधुनिक तकनीकी प्रगति के कारण विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ङ): वस्त्र मंत्रालय के अधीन विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय देश भर के हस्तशिल्प क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए दो योजनाएं नामशः राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प कलस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) कार्यान्वित करता है। इन योजनाओँ के तहत, विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों का गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास समर्थन आदि के माध्यम से कारीगरों को शुरु से अंत तक सहयोग हेतु आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर के पारंपरिक शिल्प और कारीगर लाभान्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त, आधुनिक तकनीकी प्रगति के कारण हस्तशिल्पों को विलुप्त होने से बचाने के लिए यह कार्यालय, हस्तशिल्पों के संवर्धन एवं संरक्षण में सहयोग तथा शिल्पों को विशिष्ट पहचान देने हेतु, जीआई अधिनियम 1999 के तहत शिल्पों के पंजीकरण के लिए, आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है।

देश में पंजीकृत कारीगरों की राज्यवार और राजस्थान राज्य में जिलावार कुल संख्या **अनुलग्नक-I** पर है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2021-22 से 2024-25 तक के दौरान एनएचडीपी एवं सीएचसीडीएस योजनाओं के तहत लाभान्वित कारीगरों की राज्यवार कुल संख्या **अनुलग्नक-II** पर है।

अनुलग्नक-I

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1922 के उत्तर के भाग (क) में विनिर्दिष्ट विवरण

पहचान पहल के तहत पंजीकृत कारीगरों की राज्यवार कुल संख्याः

क्र.सं.	राज्य/यूटी	कारीगरों की संख्या
1.	अण्डमान एवं निकोबार	2,872
2.	आंध्र प्रदेश	66,013
3.	अरुणाचल प्रदेश	10,391
4.	असम	1,03,057
5.	बिहार	1,18,831
6.	चंडीगढ़	79
7.	छत्तीसगढ़	17,595
8.	दिल्ली	22,882
9.	गोवा	10,006
10.	गुजरात	1,37,768
11.	हरियाणा	33,040
12.	हिमाचल प्रदेश	28,257
13.	जम्मू एवं कश्मीर	1,19,964
14.	झारखंड	97,471
15.	कर्नाटक	44,176
16.	केरल	54,116
17.	लद्दाख	1,398
18.	लद्दाख (यूटी)	2,105
19.	लक्षद्वीप (यूटी)	320
20.	मध्य प्रदेश	96,755
21.	महाराष्ट्र	73,604
22.	मणिपुर	75,734
23.	मेघालय	6,104
24.	मिजोरम	3,914
25.	नागालैंड	13,174
26.	ओडिशा	1,75,974
27.	पुदुचेरी	8,156
28.	पंजाब	32,660
29.	राजस्थान	1,69,292
30.	सिक्किम	2,674
31.	तमिलनाडु	77,781
32.	तेलंगाना	43,858
33.	त्रिपुरा	20,499
34.	उत्तर प्रदेश	9,95,540
35.	उत्तराखंड	42,037
36.	पश्चिम बंगाल	2,87,575
	कुल	**29,95,672**

राजस्थान राज्य में पहचान पहल के तहत पंजीकृत कारीगरों की जिलावार संख्याः

क्र.सं.	जिला	कारीगरों की संख्या
1.	अजमेर	4,223
2.	अलवर	4,239
3.	बांसवाड़ा	881
4.	बारा	168
5.	बारन	458
6.	बाड़मेर	26,645
7.	भरतपुर	592
8.	भीलवाड़ा	2,226
9.	बीकानेर	5,860
10.	बूंदी	742
11.	चितौड़गढ़	1,509
12.	चुरू	7,612
13.	दौसा	4,459
14.	ढोलपुर	155
15.	डूंगरपुर	660
16.	गंगानगर	4,131
17.	हनुमानगढ़	3,804
18.	जयपुर	32,357
19.	जैसलमेर	3,701
20.	जालौर	1,849
21.	झालवर	345
22.	झुनझूनू	2,950
23.	जोधपुर	33,180
24.	करौली	144
25.	कोटा	509
26.	नागौर	3,579
27.	पाली	3,130
28.	प्रतापगढ़	1,246
29.	राजसमंद	2,212
30.	सवाई माधोपुर	1,404
31.	सीकर	3,729
32.	सिरोही	1,398
33.	टोंक	2,456
34.	उदयपुर	6,739
	कुल	**1,69,292**

अनुलग्नक-II

दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1922 के उत्तर के भाग (घ) में विनिर्दिष्ट विवरण

वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 में योजना के तहत लाभार्थियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/यूटी	लाभार्थी		
		2021-22	2022-23	2023-24
1.	अण्डमान एवं निकोबार	800	590	190
2.	आंध्र प्रदेश	3,516	3,926	4,830
3.	अरुणाचल प्रदेश	1,260	620	380
4.	असम	6,878	4,382	1,620
5.	बिहार	2,746	3,563	2,722
6.	चंडीगढ़	300	300	100
7.	छत्तीसगढ़	1,570	1,090	460
8.	दमन एवं दीव	0	50	0
9.	दिल्ली	4,900	1,790	2,536
10.	गोवा	920	760	290
11.	गुजरात	10,962	6,222	4,238
12.	हरियाणा	2,350	1,971	1,174
13.	हिमाचल प्रदेश	2,426	2,580	1,060
14.	जम्मू एवं कश्मीर	8,452	7,436	5,084
15.	झारखंड	2,380	2,410	1,334
16.	कर्नाटक	4,530	3,814	2,050
17.	केरल	3,720	2,471	1,024
18.	लद्दाख	1,320	690	614
19.	मध्य प्रदेश	5,360	5,101	23,714
20.	महाराष्ट्र	5,470	3,990	3,416
21.	मणिपुर	6,466	2,923	1,324
22.	मेघालय	2,226	900	550
23.	मिजोरम	1,260	760	270
24.	नागालैंड	2,250	1,060	410
25.	ओडिशा	5,006	4,590	2,574
26.	पुदुचेरी	1,790	990	300
27.	पंजाब	3,990	2,430	560
28.	राजस्थान	8,612	7,705	4,280
29.	सिक्किम	840	930	270
30.	तमिलनाडु	4,742	3,000	2,034
31.	तेलंगाना	1,960	2,040	2,564
32.	त्रिपुरा	1,290	1,030	10,990
33.	उत्तर प्रदेश	27,721	26,519	14,564
34.	उत्तराखंड	3,090	2,160	640
35.	पश्चिम बंगाल	3,412	3,740	2,494
36.	अखिल भारत (राज्य विशिष्ट नहीं)	0	0	2,655
37.	अंतर्राष्ट्रीय विपणन	437	585	643
	कुल	**1,44,952**	**1,15,118**	**1,03,958**

*****